

आदेश की क्रम- संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर दी गयी
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख के साथ।

28.9.18

न्यायालय अपर समाहर्ता, मुंगेर
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-05/2018-19

राज्य

बनाम्

श्री जितेन्द्र सहनी, पे0-स्व0 रामकिशुन सहनी एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, मुंगेर के पत्रांक 353, दिनांक- 13.07.2018 द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण 05/2018-19 राज्य बनाम् श्री जितेन्द्र सहनी एवं अन्य का अभिलेख टोपो लैंड की जमाबंदी रद्द करने हेतु जो अंचलाधिकारी सदर मुंगेर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-अमरपुर, तौजी नं0-1487, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित भूमि जिसका जमाबंदी नं0- 62/2, पर श्री जितेन्द्र सहनी, पे0-स्व0 रामकिशुन सहनी, सा0-लाल दरबाजा का नाम पंजी-2 में दर्ज है जिसे अनुशंसा के साथ जमाबंदी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद को दिनांक-17.07.2018 को अंगीकृत करते हुए राज्य की ओर से टोपो लैंड के दावाकर्ता को नोटिस इस आशय से दिया गया कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर दावा सिद्ध कर सकते हैं। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मौखिक बहस के अलावा लिखित बहस दिनांक 25.09.2018 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रस्तुत लिखित बहस में सरकारी अधिवक्ता ने यह उल्लेख किया है कि गंगा के गर्भ वाली जमीन को बंगाल सर्वे एक्ट के द्वारा सर्वे नहीं किया जा सका, वह भूमि 'टोपो लैंड' के नाम से जाना गया। प्रश्नगत टोपो भूमि उपरोक्त जमाबंदी रैयत के नाम से कभी सरकार द्वारा बन्दोवस्त नहीं किया गया है एवं खतियान भी तैयार नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है।

प्रस्तुत वाद से संबंधित एक मामला तारकदास आचार्य चौधरी बनाम् राज्य सेक्रेटरी (AIR-1935 PC 125) में यह Privy Council द्वारा निर्धारण किया गया कि जिस भूमि का सर्वे नहीं किया गया वह जमीन सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी और सरकार को प्रस्तुत भूमि का स्वायत्त दखल कब्जा और हित पूर्णरूपेण प्राप्त है। पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा जो भी जमाबंदी दावाधारियों के पक्ष में सृजित किया गया है वह विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए यह वैध नहीं है। इस प्रकार जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में जो भी दस्तावेज दाखिल किया गया है उक्त सभी वादों में राज्य सरकार पक्षकार नहीं है। इसलिए उक्त वार्ता पर राज्य सरकार के स्वत्व एवं दखल कब्जा को बाधित नहीं करता है। किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी सृजन से उनके पक्ष में स्वत्व का होना नहीं माना जाता है इसलिए जो भी मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया गया है वह तो विधिवत

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>जमाबंदी सृजन के बगैर है। उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह दावे एवं स्वत्व का समर्थन नहीं करता है।</p> <p>दावाधारियों के द्वारा यह भी बहस के दरम्यान कहा गया की उनका दावा कागजातों के अलावे दखल कबजा के आधार पर भी बनता है। सरकार के जमीन पर सरकार की जानकारी में करीब 30 वर्षों से अधिक समय से दावेदार जमीन के दखल में है। इस प्रकार उनका Adverse Position के आधार पर भी स्वत्व अधिकार बनता है।</p> <p>इस संदर्भ में सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा कि दावाधारियों का Adverse Position के आधार पर कोई दावा नहीं बनता है। क्योंकि दावेदार अपने लिखित अभिकथन में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया है कि किस तारीख को दावेदार सरकार की भूमि पर दखल में आए और किस तारीख को उनका दखल सरकार के खिलाफ Adverse हो गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वे बिना रोक-टोक के सरकार की जानकारी में प्रश्नगत भूमि पर लगातार बिना किसी टूट के जमीन के दखल में चले आ रहे हैं। सिर्फ मौखिक बहस के आधार पर किसी का दावा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने निर्णय जो 1982 Vol-1 PLR HC 297 ठाकुर साह बनाम् शिवपूजन वगैरह के केश में इसी तरह का फैसला दिया है कि दावेदारों को सारे तथ्य जिसके आधार पर वे दावा मानते हैं अपने अभिवचन में लाना पड़ेगा, अन्यथा वह विचारणीय नहीं होगा। इस तौर से भी दावेदारों का दावा खारिज होने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था और न ही जमाबंदी नियमानुकूल सृजित किया गया। अतः खारिज होने योग्य है।</p> <p>उक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मुंगेर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि के चल रहीं जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही निदेशक भू-अर्जन, बिहार पटना के पत्रांक-652/रा0 दिनांक-8.6.18 द्वारा प्राप्त पत्र में वर्णित है कि टोपो लैण्ड/असर्वोक्षित भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व/ अधिकार नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए तथा भारत के राजपत्र संख्या-1215, दिनांक-18.5.16 में यह अंकित है कि उक्त मौजे की जमीन कृषि टोपो लैण्ड है। उक्त जमाबंदी रैयत (प्रतिवादि) द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित वांछित कागजात यथा केबाला की छायाप्रति, राजस्व रसीद की छायाप्रति तथा अन्य कागजात समर्पित किया है जो कि अभिलेखबद्ध है।</p> <p>विदित हो कि निबंधन कार्यालय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। दस्तावेजों में वर्णित भूमि के स्वत्व अधिकार एवं दखल कबजा से उसका कोई</p>	



आदेश की क्रम- संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर दी गयी
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख के साथ।

दखल नहीं है। इस प्रकार यदि कोई निबंधित दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था। अतः खारिज होने योग्य है।


अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के अनुशंसा के आधार पर तथा उक्त विभागीय परिपत्र के आलोक में एवं पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त उक्त मौजा-अमरपुर, तौजी नं0-1487, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित निम्न ब्यौरे की जमीन की चल रही जमाबंदी को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 09 के तहत रद्द की जाती है।

जमीन का ब्यौरा:-

क्रम सं0	मौजा	तौजी नं0	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता+खेसरा	रकवा ए0-डी0	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरपुर	1487	जितेन्द्र सहनी, पे0-रामकिशुन सहनी, सा0-लालदरवाजा	टोपो	1-0	62/2

इस वाद में पारित आदेश का अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
मुंगेर।


अपर समाहर्ता
मुंगेर।